न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
11/2020

तारीख दायर
13-01-2020

तारीख फैसला
01/02/21

उनवान

01. मोती देवी पत्नी स्व0 श्री जोराम
02. मंजु देवी पुत्री स्व0 श्री जोराम पत्नी श्री नरेन्द जाति अहीर निवासीगण ग्राम महाराजपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

————:: वादीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

————:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्म इम्तनाई दवानी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2037/1092 रकबा 0.3250 है0, 2033/1094 रकबा 0.2963 है0, 2029/1095 रकबा 0.28 है0, 2027/1096 रकबा 0.7587 है0, 1097 रकबा 1.39 है0, 1098 रकबा 0.03 है0, 1099 रकबा 0.92 है0, 1100 रकबा 0.57 है0, 1093 रकबा 0.78 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 5.35 है0 में से 1/5 भाग दर 1.20 है0 व हाल आराजी खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.76 है0 में से 1/27 हिस्सा, हाल आराजी खसरा नम्बर 1102 रकबा 0.57 है0 में से 1/9 हिस्सा, हाल आराजी खसरा नम्बर 1101 रकबा 0.63 है0 में से 1/18 हिस्सा जो दीपक कुमार पुत्र श्री राजसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है, वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त दीपक कुमार का हिस्सा इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। दीपक कुमार जो कि मिन वादियां संख्या 1 के पुत्र राजसिंह व वादीयां संख्या 2 के भाई राजसिंह का बेटा है। उपरोक्त विवादित आराजी जो दीपक कुमार को अपने दादा जोराम से विरासत से प्राप्त हुआ था। दीपक कुमार जो कि अपने पिता राजसिंह व अपनी माता सुनीता के नुत्फे से एक मात्र सन्तान पैदा हुआ है। दीपक कुमार के पिता राजसिंह का देहान्त वर्ष 2001 में हो चुका था तथा दीपक कुमार की माता सुनीता ने अपने पति राजसिंह के मरने के उपरान्त दीपक कुमार को नाबालिग अवस्था में हम वादीगण के पास छोडकर मृतक दीपक कुमार के चाचा रत्तीराम के लडके राजपाल की चुडी पहनकर दूसरा विवाह कर लिया व सुनीता के अपने दूसरे पति राजपाल के नुत्फे से तीन बच्चे भी पैदा हो चुके है। सुनीता ने दीपक कुमार को कोई परवरिश नहीं की है। उक्त विवादित आराजी दीपक कुमार को अपने दादा जोराम से विरासत से प्राप्त हुई है तथा जब दीपक कुमार के नाम विवादित आराजी का अंकन आया तो उस समय दीपक

नलिग था हम वादीगण ने दीपक कुमार की परवरिश, सार सम्भाल की है। हम वादीगण ही दीपक कुमार की परस्ती वलीसरंक्षक है तथा उक्त विवादित आराजी की हम वादीगण ही सार सम्भाल कर काविज व दाखिल र उपयोग उपभोग बदस्तूर करती आ रही है। वादीगण के पौते/भतीजे दीपक कुमार को गम्भीर बिमारी केन्सर जिसके उपचार में हम वादीगण ने काफी पैसो लगाये और दौराने उपचार दिनांक 12.09.2013 को हम वादीगण पौते/भतीजे दीपक कुमार का देहान्त हो गया। वादीगण के पौते/भतीजे दीपक कुमार को उक्त विवादित ाजी जो कि अपने दादा जोराम से विरासत से मिली है और वक्त अंकन दीपक कुमार नावालिग था और हम ीगण की सरपरस्ती में ही रहता था और हम वादीगण ही उक्त विवादित आराजी पर काविज व दाखिल होकर योग उपभोग करते आ रहे है, दीपक कुमार के मरने के उपरान्त दीपक कुमार के हम वादीगण के अलावा अन्य ई नजदीकी विधिक वारिसान नही है। इसलिए उक्त विवादित आराजी के हम वादीगण खातेदार काश्तकार ित कराने के अधिकारी है तथा इश्तकारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने के अधिकारी है। ीगण जो कि अनपढ, घरेलु, भोली भाली महिला है। जिन्हे कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है। जब गावं ों ने हम वादीगण से कहां की दीपक कुमार की माता सुनीता ने किसी दूसरे की चुडी पहन ली है जिस कारण ीता का तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा है, तुम्हारे अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान दीपक कुमार नहीं है और उक्त विवादित आराजी का इंतकाल तुम अपने नाम दर्ज कराओं। जिस पर हम वादीगण ने तिवादी तहसीलदार तिजारा को आवेदन दिनांक 27.04.2017 मय शपथ पत्र पेश किया। जिस पर प्रतिवादी हसीलदार तिजारा ने कहां की मैं जॉच पडताल कर उक्त विवादित आराजी का इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर ा। उसके बाद हम वादीगण कई बार प्रतिवादी तहसीलदार तिजारा से कई बार सम्पर्क कर उक्त विवादित राजी को हम वादीगण के नाम इंतकाल दर्ज व स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने का निवेदन करते है और प्रतिवादी तहसीलदार तिजारा हर बार आश्वासन देकर टाल मटोल कर वापिस भेज देता और अब नांक 17.12.2019 को प्रतिवादी तहसीलदार ने हम वादीगण के नाम विवादित आराजी का इंतकाल दर्ज व ीकार करने से साफ तौर से इंकार कर दिया और ऐलानिया तोर से कहां कि उक्त विवादित आराजजी को कब्जे ज लेकर किसी दीगर आदमी को अलौट कर वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करूंगा। यदि प्रतिवादी हसीलदार अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया तो हम वादीगण को अजहद हानि होगी, वादीगण को अपने ते/भतीजे दीपक कुमार की विरासत से मिली आराजी से महरूम होना पडेगा, दीगर मुकदमाबाजी में उलझना डेगा। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह रूपयों में आंकी जाना संभव नहीं होगी। इसलिए हम वादीगण, प्रतिवादी को रिये हुक्मइम्तनाई दवागी से पावन्द कराने के अधिकारी है। वादीगण ने वाद के साथ सूचि अनुसार दस्तावेज पेश कये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का वसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। ादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र मोती देवी करीब 75 साल पत्नी स्व0 श्री जोराम जाति अहीर निवासी ग्राम हाराजपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर (पी.डब्ल्यू. 01), श्योराजसिंह पुत्र श्री रामकुवार जाति अहीर उम्र करीब 51 साल निवासी महाराजपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर (पी.डब्ल्यू. 02), नरेन्द्र कुमार पुत्र रमेश कुमार जाति

मोती देवी

2— यह है कि दीपक कुमार जो कि मिन वादीया सं. 1 के पत्र

ीर उम्र करीब 40 साल निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील तिजारा जिला अलवर हाल निवासी नसीपुर तहसील टकासिम जिला अलवर (पी.डब्ल्यू. 03) पेश किये जो शामिल पत्रावली की गई। बहस वकील वादी सुनी गई। त्रावली का अवलोकन किया बहस वकील वादीगण पर मनन किया।

अतः दावा वादी डिकी किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 2037/1092 रकबा 0.3250 है0, 033/1094 रकबा 0.2963 है0, 2029/1095 रकबा 0.28 है0, 2027/1096 रकबा 0.7587 है0, 1097 रकबा 1.39 0, 1098 रकबा 0.03 है0, 1099 रकबा 0.92 है0, 1100 रकबा 0.57 है0, 1093 रकबा 0.78 है0 कुल किता 9 कुल कबा 5.35 है0 में से 1/5 भाग दर 1.20 है0 व हाल आराजी खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.76 है0 में से 1/27 स्सा, हाल आराजी खसरा नम्बर 1102 रकबा 0.57 है0 में से 1/9 हिस्सा, हाल आराजी खसरा नम्बर 1101 कबा 0.63 है0 में से 1/18 हिस्सा वाके ग्राम शाहबाद तहसील तिजारा जिला अलवर पर दर्ज दीपक कुमार पुत्र ी राजसिंह के नाम रकबे को वादी संख्या 1 के नाम 1/2 भाग व वादी संख्या 2 के नाम 1/2 भाग दर्ज किये ाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी नं0 1 वादीगण के कब्जा काश्त मजाहमत मदाखलत पैदा नहीं करें। राजी को दीगर जगह मुन्तकिल नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है। पर्चा डिकी री हो।

आदेश सुनाया गया।

6/07/21

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)